

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़


पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र- अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट मु.नं. सन् 2020

45,46, 48 to 59

| तारीख हुक्म | हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए | | |
|-------------|--|---|--|--|
| 25.02.2020 | <p>यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।</p> <p>प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम खदाया की जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 में नया खाता खंख्या 34 पुराना खाता संख्या 33 में खसरा संख्या 148, 149, 82, 84, 85, 87 में उक्त समस्त भूमि बैंक ऑफ इंडिया शाखा सालासर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जबकी इस बैंक की शाखा सालासर में है ही नहीं अतः यह गलत है अतः बैंक की राहिन की प्रविष्टि बैंक ऑफ इंडिया शाखा सालासर के बजाय बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सालासर किया जाने के आदेश फरमावे।</p> <p>45 46 48 to 59</p> <p>वाद पत्र संख्या 45 से 59 तक के पक्षकार समान होने व वाद की विषय वस्तु समान होने के कारण समस्त वादपत्रों का निर्णय एक साथ लिखवाया जा रहा है निर्णय की प्रति प्रत्येक वाद पत्र के साथ संलग्न की जाये।</p> <p>वाद पत्र प्रस्तुत होने पर पटवारी हल्का जोडसर व उपतहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई। उपतहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 में नया खाता खंख्या 34 पुराना खाता संख्या 33 में खसरा संख्या 148, 149, 82, 84, 85, 87 समस्त भूमि बैंक ऑफ इंडिया शाखा सालासर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जबकी इस बैंक की शाखा सालासर में है ही नहीं अतः यह गलत है अतः बैंक की राहिन की प्रविष्टि बैंक ऑफ इंडिया शाखा सालासर के बजाय बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सालासर किया जाना उचित है</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात तथा उपतहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खदाया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु को जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 जमाबन्दी नया खाता संख्या 34 पुराना खाता संख्या 33 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-</p> | | | |
| क्र. सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि: (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
| 1 | खदाया | 34/33 | <p>1. अनार कवर पुत्री दयाल सिंह हिस्सा 1/11 जाति राजपूत निवासी खदाया खातेदार अ.वि. ई.न. 260 राहिन हिस्सा 1/11 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ इंडिया सालासर)</p> <p>2. उमराव सिंह पुत्र दयाल सिंह हिस्सा 1/11 जाति राजपूत निवासी खदाया खातेदार अ.वि. ई.न. 280 राहिन हिस्सा 1/11 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ इंडिया सालासर)</p> | <p>1. अनार कवर पुत्री दयाल सिंह हिस्सा 1/11 जाति राजपूत निवासी खदाया खातेदार अ.वि. ई.न. 260 राहिन हिस्सा 1/11 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सालासर)</p> <p>2. उमराव सिंह पुत्र दयाल सिंह हिस्सा 1/11 जाति राजपूत निवासी खदाया खातेदार अ.वि. ई.न. 260 राहिन हिस्सा 1/11 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सालासर)</p> |

22

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>10. मनखुकंवर पुत्री दयाल सिंह हिस्सा 1/11 जाति राजपूत निवासी खदाया खातेदार अ.विव. ई.न. 260 राहिन हिस्सा 1/11 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ इंडिया सालासर)</p> <p>11. मन्जू कंवर पुत्री पाबुसिंह हिस्सा 1/55 जाति राजपूत निवासी खदाया खातेदार अ.विव. ई.न. 260 राहिन हिस्सा 1/11 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ इंडिया सालासर)</p> <p>12. रणवीर सिंह पुत्र पाबुसिंह हिस्सा 1/55 जाति राजपूत निवासी खदाया खातेदार अ.विव. ई.न. 260 राहिन हिस्सा 1/11 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ इंडिया सालासर)</p> <p>13. रसाल कंवर पुत्री दयाल सिंह हिस्सा 1/11 जाति राजपूत निवासी खदाया खातेदार अ.विव. ई.न. 260 राहिन हिस्सा 1/11 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ इंडिया सालासर)</p> <p>14. सन्तोष कंवर पुत्री पाबुसिंह हिस्सा 1/55 जाति राजपूत निवासी खदाया खातेदार अ.विव. ई.न. 260 राहिन हिस्सा 1/11 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ इंडिया सालासर)</p> | <p>10. मनखुकंवर पुत्री दयाल सिंह हिस्सा 1/11 जाति राजपूत निवासी खदाया खातेदार अ.विव. ई.न. 260 राहिन हिस्सा 1/11 (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सालासर)</p> <p>11. मन्जू कंवर पुत्री पाबुसिंह हिस्सा 1/55 जाति राजपूत निवासी खदाया खातेदार अ.विव. ई.न. 260 राहिन हिस्सा 1/11 (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सालासर)</p> <p>12. रणवीर सिंह पुत्र पाबुसिंह हिस्सा 1/55 जाति राजपूत निवासी खदाया खातेदार अ.विव. ई.न. 260 राहिन हिस्सा 1/11 (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सालासर)</p> <p>13. रसाल कंवर पुत्री दयाल सिंह हिस्सा 1/11 जाति राजपूत निवासी खदाया खातेदार अ.विव. ई.न. 260 राहिन हिस्सा 1/11 (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सालासर)</p> <p>14. सन्तोष कंवर पुत्री पाबुसिंह हिस्सा 1/55 जाति राजपूत निवासी खदाया खातेदार अ.विव. ई.न. 260 राहिन हिस्सा 1/11 (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सालासर)</p> | |
| <p>निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ व स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा सालासर को भिजवाई जाये। बैंक राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ </p> | | | | | |

